"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014— श्रावण 1, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 (श्रावण 1, शक 1936)

क्रमांक-8123/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) जो बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन), विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप-धारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(8) निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में प्रभारित किए जाने वाले शुल्क (फीस) का अवधारण करने में समर्थ होने के लिए समिति, संस्था से ऐसी जानकारी, ऐसी समयावधि के भीतर, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ऐसी कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचित करे :

परन्तु यह कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर कि संस्था ने समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई राशि एकत्र की है, राज्य सरकार, ऐसी सूचना को, समिति को संदर्भित कर सकेगी और ऐसे किसी संदर्भ की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी सूचना को उप-धारा (9) के अधीन की गई शिकायत और सूचना देने वाले व्यक्ति को शिकायतकर्ता मान सकेगी.

स्पष्टीकरण- किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा, समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई राशि एकत्र की जाने की सूचना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को या राज्य सरकार के एक या अधिक अधिकारियों को या विश्वविद्यालय, जिसके विशेषाधिकार संबंधित संस्था को प्राप्त है, को दिए जाने तथा राज्य सरकार को ऐसी सचूना उक्त प्राधिकारी या अधिकारी या विश्वविद्यालय से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त होने की दशा में, ऐसा व्यक्ति, द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए शिकायतकर्ता माना जाएगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) को, छत्तीसगढ़ राज्य में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन, फीस के निर्धारण तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था.

निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न राशियां एकत्र करने के संबंध में, राज्य सरकार को प्राप्त सूचनाओं के लिए उपबंध करने हेतु, अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

प्रेमप्रकाश पाण्डेय
तकनीकी शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (8) का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 4 की उपधारा (8)
समिति का गठन, संरचना, निरर्हता तथा कृत्य.

समिति, सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था से या डीम्ड विश्वविद्यालय से विहित तारीख तक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी की समिति को फीस का अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, जो कि प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में संस्था द्वारा प्रभारित की जाएगी और इस प्रकार अवधारित की गई फीस, ऐसी कालावधि के लिए विधिमान्य होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.